



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928



संख्या-105- का०वि०नी० एवं वे०प्र०-29/पाकालि/2019-6-काविनी एवं वे०प्र०/2018

दिनांक 29/01/2019

कार्यालय-ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के विभिन्न सेवा संवर्गों की वेतन विसंगतियों का परीक्षण कर संस्तुतियों दिये जाने हेतु गठित वेतन विसंगति निवारण समिति द्वारा सहायक अभियन्ताओं के सम्बन्ध में दी गई संस्तुतियों पर सम्यक विचारोपरान्त उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के निदेशक मण्डल की दिनांक 11.01.2019 को सम्पन्न 143वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में एतद्वारा निम्नवत् आदेश किये जाते हैं :-

दिनांक 19.02.2009 से लागू ए०सी०पी० योजना में सहायक अभियन्ताओं को छठवे वेतन आयोग में 14 वर्ष की सेवा पर द्वितीय वित्तीय स्तरान्वयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन रू० 8700 वेतन बैंड-4 (37400-67000) में अनुमन्य प्रारम्भिक न्यूनतम बैंड वेतन रू० 37400/- एवं सातवें वेतन आयोग में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 में अनुमन्य प्रारम्भिक न्यूनतम वेतन रू० 123100/- पर 02 अग्रिम वेतन वृद्धि अनुमन्य कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- उपरोक्तानुसार 14 वर्ष की सेवा पर 02 अग्रिम वेतन वृद्धि की अनुमन्यता के फलस्वरूप छठवे वेतन आयोग में द्वितीय वित्तीय स्तरान्वयन के रूप में अनुमन्य बैंड वेतन रू० 37400/- के स्थान पर बैंड वेतन रू० 40220 /- एवं सातवें वेतन आयोग में अनुमन्य वेतन रू० 123100/- के स्थान पर रू० 130600/- का वेतन स्तर अनुमन्य होगा।

3- उपरोक्त 02 अग्रिम वेतन वृद्धि की अनुमन्यता इस प्रतिबन्धाधीन होगी कि ऐसे सहायक अभियन्ता जिन्हें ए०सी०पी० के प्राविधानों के अन्तर्गत 14 वर्ष की सेवा पूर्ण किये जाने से पूर्व द्वितीय वित्तीय स्तरान्वयन देय हो रहा है, उन्हें उपरोक्त प्रस्तर-02 में निर्धारित किये गये वेतन स्तर (02 अग्रिम वेतन वृद्धि सहित) तक का लाभ 14 वर्ष की सेवा पूर्ण किये जाने पर ही अनुमन्य कराया जायेगा।

4- इस प्रकार 02 अग्रिम वेतन वृद्धि की अनुमन्यता दिनांक 19.02.2009 से लागू ए०सी०पी० योजना में 14 वर्ष की सेवा पर केवल सहायक अभियन्ता आगमन पद से देय ए०सी०पी० व्यवस्था के संदर्भ में ही होगी।

5- उपरोक्तानुसार अनुमन्यता की तिथि से मात्र प्राकल्पित वेतन निर्धारण किया जायेगा एवं इस आदेश के जारी होने की तिथि के पूर्व तक किसी भी प्रकार के अवशेष की देयता नहीं होगी।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

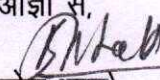
सं०-105-काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/19 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०/ उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०।
4. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
5. प्रबन्ध निदेशक, कैंस्को, कानपुर/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।

6. समस्त निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ ।
7. मुख्य अभियंता (जल विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
8. अध्यक्ष विद्युत सेवा आयोग, एसएलडीसी परिसर, निकट मंत्री आवास, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ ।
9. समस्त मुख्य अभियंता (स्तर-1 एवं स्तर-2), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि० ।
10. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक /उपहाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/ उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि० ।
11. महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उपहाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ ।
12. समस्त अधीक्षण अभियंता, उपहाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/ उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि० ।
13. समस्त अधिशासी अभियंता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/ उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि० ।
14. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/ उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि० ।
15. अनु सचिव (सचि०प्रशा०-लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ ।
16. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
17. सचिव, उ०प्र० राज्य ऊर्जा कार्मिक न्यास, शक्ति भवन, लखनऊ ।
18. समस्त अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० मुख्यालय, शक्ति भवन /शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
19. कम्पनी, सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 11.01.2019 को सम्पन्न 143वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में ।
20. अधिशासी अभियंता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाइट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु ।

आज्ञा से,


(राकेश भट्ट)

अनु सचिव (काविनी)

